(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 268/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/911**

1. मनरूप पुत्र गुगनराम, जाति मेघवाल निवासी ढाणा लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. मिन्टू देवी पत्नी महेन्द्र सिंह, जाति मेघवाल निवासी ढाणा लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

............वादीगण

बनाम

1. रामवतार पुत्र जगदीश जाति मेघवाल निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. बड़ौदा राजस्व ग्रामीण बैंक शाखा बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोषणात्मक, एवं खाता विभाजन

–:निर्णयः– **दिनांकः– 22/11/24**

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 10 के ख0 न0 12 रकबा 2.70 हैक्टर, ख0 न0 26 रकबा 0.83 हैक्टर, ख0 न0 29 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.05 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.08.2023 को खाता संख्या 10 के ख0 न0 12 रकबा 2.70 हैक्टर में 0.55 हैक्टर भूमि का बेचान वादी संख्या 1 को व ख0 न0 12 रकबा 2.70 में वादी संख्या 2 को 0.22 हैक्टर भूमि का बैचान वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर करवा दिया।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर लिया व अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से ही दर्ज हैं। जबकि वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि अपने नाम खातेदार की करवाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण के खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.70 हैक्टर, ख0 न0 26 रकबा 0.83 हैक्टर, ख0 न0 29 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.05 हैक्टर के खाता संख्या 12 रकबा 2.70 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 0.55 हैक्टर, वादी संख्या 2 को 0.22 हैक्टर वादी प्रतिवादीगण का खातेदार घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख). कि वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण स्थित भूमि खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.70 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 0.55 हैक्टर व वादी संख्या 2 को 0.22 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अलग से अमल दरामद फरमाया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की समयक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालीया जवाब पेश किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 194 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2197 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण स्थित भूमि हाल खाता संख्या 10, 12 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण के खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.70 हैक्टर, ख0 न0 26 रकबा 0.83 हैक्टर, ख0 न0 29 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.05 हैक्टर के खाता संख्या 12 रकबा 2.70 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 0.55 हैक्टर, वादी संख्या 2 को 0.22 हैक्टर का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1 लगा0 ब–2'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1 लगा0 ब–2'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1 लगा0 ब–2'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

22/11/24
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 268 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 911**

मन्दरूप **बनाम** रामवतार आदि

दावा बाबत– घोष्णात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

<u>–ःनिर्णयः–</u>

वादी की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की उपस्थित एवं प्रतिवादी सं0 1 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी लक्ष्मण के खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.70 हैक्टर, ख0 न0 26 रकबा 0.83 हैक्टर, ख0 न0 29 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.05 हैक्टर के खाता संख्या 12 रकबा 2.70 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 0.55 हैक्टर, वादी संख्या 2 को 0.22 हैक्टर का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगा0 ब–2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगा0 ब–2" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगा0 ब–2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.11.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:24 IST
Reason: SelfAttested

22/11/24
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना